BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

INDEX

IN

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD

In matter of

Misc Application No. 123 of 2024

In

Original Application No. 281 of 2024

Kishore Bahuguna

v.

State of Uttarakhand

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1
2.	Action Taken Report	2-5
3.	**Annexure No. 1**: Copy of letter dated 23.09.24	6-13
4.	**Annexure No. 2:** Copy of letter dated 03.12.24	14
5.	**Annexure No. 3:** Copy of report dated 04.12.24	15-33
6.	**Annexure No. 4:** Copy of letter dated 11.12.24	34
7.	**Annexure No. 5:** Copy of report dated 21.12.24	35-38

Dated: January 2025

Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board

Action Taken Report on behalf of Uttarakhand Pollution Control Board

In matter of

Misc Application No. 123 of 2024

In

Original Application No. 281 of 2024

Kishore Bahuguna

v.

State of Uttarakhand

1. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 05.12.2024 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

"....

3. In Para 5 of Judgement, Tribunal directed Joint Committee comprising District Magistrate, Pauri, Uttarakhand State Pollution Control Board and Municipal Corporation, Pauri, wherein District Magistrate was made notary authority, to submit a compliance report within two months which period has expired in July, 2024 but no such report has been submitted till date.

5. However, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to give one more opportunity and direct District Magistrate, Pauri, Uttarakhand State Pollution Control Board and Municipal Corporation, Pauri to submit compliance

report as per judgment dated 29.05.2024 within three weeks, failing which, all the members of Joint Committee shall appear personally before Tribunal on the next date.

....”

2. That O.A. 281 of 2024 was listed on 29.05.2024 wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

“....

3. We accordingly, disposed of this Original Application by constituting a Joint Committee comprising District Magistrate, Pauri, Uttarakhand State Pollution Control Board and Municipal Corporation, Pauri.

4. District Magistrate shall be Nodal Agency for compliance and coordination of this order.

5. Said Committee shall visit site collect relevant information and if finds any negligence or lacking on the part of authorities responsible for maintenance of said yard and anything showing that same is not been maintained in accordance with statutory provisions relating to environment,

6. Committee shall take appropriate remedial punitive and prohibitive action against violator(s) within two months and submit a Compliance Report with Registrar General of this

Tribunal who may place the matter before Bench to find necessary for any order.

....”

3. That in compliance with aforesaid directions of this Hon’ble Tribunal, it is humbly submitted that earlier, the joint committee constituted by the Hon’ble Tribunal, conducted site inspection on 20.09.2024 and vide letter dated 23.09.2024 sent by DM. In this connection, a copy of the letter dated 23.09.2024 along with report dated 20.09.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 01**.

4. That as per the report it was recommended to take immediate action for disposal of disorganized legacy waste at the disposal site operated by Nagar Palika Parishad, Pauri, to take protective measures at the dumping site and to complete all the works on priority basis for construction of the proposed alternative municipal solid waste management plant at Ulli Beat Mandakhal.

5. That in compliance of the afore-mentioned recommendations, Member Secretary, UKPCB vide letter no. UKPCB/H.O./S.No.183-788/2024/1293 dated 03.12.2024 directed the Executive Officer, Municipal Corporation, Pauri to comply with the said recommendations. In this connection, a copy of the letter dated 03.12.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 02.**

6. That in furtherance, Executive Officer, Municipal Corporation, Pauri submitted an action taken report to Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board dated 04.12.2024 stating the arrangements made by Nagar Palika Pauri. In this connection, a copy of the report dated 04.12.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 03.**

7. That further, Member Secretary UKPCB vide letter no. UKPCB/H.O./S.No.183-788/2024/1328 dated 11.12.2024 directed the R.O. Dehradun to ensure compliance of Solid Waste Management Rules and verify the actions being taken by Nagar Palika Parishad Pauri. In this connection, a copy of the letter dated 11.12.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 04.**

8. That in compliance with letter dated 11.12.2024, the R.O. Dehradun conducted an inspection on 17.12.2024 and sent a report vide letter dated 21-12-2024. In this connection, a copy of the report dated 21.12.2024 is being marked and filed as **Annexure No. 05.**

The above report is being presented for the consideration of Hon'ble NGT.

(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board

Speedpost

Annexure-1

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 5876
Date 27/9/24

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन
46 बी,आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड,
देहरादून।

संख्या– 482 /21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक सितम्बर 23 ,2024,

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

—

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ/सा0-183-188 /2024/568 दिनांक 15.07.2024 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में ग्राम तिमली/पौड़ी, न्यू विकास कॉलोनी, जिला पौड़ी गढ़वाल अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 में नगर पालिका पौड़ी द्वारा कचरा डम्पिंग के सम्बन्ध में वस्तुस्थित से अवगत कराने एवं 02 माह अन्दर संयुक्त टीम का गठन करते हुए नियमानुसार आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

उक्त सम्बन्ध में गठित संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा दिनांक 20–09–2024 को स्थलीय निरीक्षण करते हुए आख्या निम्नानुसार प्रेषित की हैः–

1. निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पौडी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत 11 वार्ड अन्तर्गत कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 25440 है।
2. डम्पिंग साईट पर वर्तमान में नगर पालिका परिषद द्वारा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एकत्रित कूड़ें को अस्थाई तौर पर डाला जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत डोर–टू–डोर कूड़ा एकत्रिकरण का कार्य नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निविदा द्वारा चयनित एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त निजी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूखे कूड़े(प्लास्टिक, कागज, गत्ते आदि) को पृथक कर कॉम्पेक्टर के माध्यम से कम्प्रेस कर विक्रय किया जाता है।
3. बिन्दु सं0–2 में उल्लिखित कूड़े के अतिरिक्त अवशेष कूड़े को वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण डम्पिंग साईट पर ही डाला जा रहा है, जिस कारण उक्त डम्पिंग साईट विगत वर्षो का लीगेसी वेस्ट(Legacy Waste) अवस्थित है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया है कि उक्त Legacy Waste के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध(REP) की स्वीकृति धनावंटन हेतु दिनांक 10–09–2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित कर दी गइ है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन से उपरोक्त डी0पी0आर0 अनुमोदित होने के उपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत स्थल पर स्थित Legacy Waste का नियमानुसार निस्तारण करा दिया जायेगा।
4. ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 की अनुसूची–1(क 7) में दिये गये मानदण्डों के अनुसार प्रश्नगत डम्पिंग साईट की स्थिति निम्नानुसार हैः–

स्थिति	निर्धारित मानक	प्रश्नगत स्थल की दूरी	टिप्पणी

नदी से दूरी	100 मी0	डम्पिंग साईट के निकट कोई नदी स्थित नही है।	डम्पिंग स्थल के अन्तिम कोने के 50 मी0 की दूरी पर एक बरसाती गधेरा स्थित है।
तालाब से दूरी	200 मी0	डम्पिंग साईट के निकट कोई तालाब स्थित नही है।	—
राज्य मार्गों से दूरी,	200 मी0	राजमार्गो से दूरी शून्य मी0	—
आबास स्थलों की दूरी	200 मी0	आवासों से दूरी 60 मी0	—
सार्वजनिक उद्यानो से दूरी	200 मी0	सार्वजनिक उद्यानों से दूरी 03 किमी0	—
जलापूर्ति कुंओं से दूरी	200 मी0	डम्पिंग साईट के निकट कोई जलापूर्ति कुंआ स्थित नही है।	—
हवाई अड्डे से दूरी	20 कि0मी0	87 किमी0	—

5. नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के मानदण्डो के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित कूड़ें के पृथक्करण/प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु उल्ली बीट माण्डाखाल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आबद्ध की गई है, जिसकी पर्यावरणीय (पत्र सं0– 29–07(19)2021 दिनांक 09 मार्च 2023) एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति (पत्र सं0– 08बी/यू0सी0पी0/09/2012/2016/एफ0सी0/2627 दिनांक 19 फरवरी 2020) प्राप्त हो चुकी है। वर्णित स्थल पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट(Solid waste Management plant) लगाये जाने हेतु तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध(REP)(कुल लागत 9.74 करोड़) नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को पत्र सं0–95 /न0पा0प0–05/2024–25 दिनांक 15 मई 2024 प्रेषित की गई है। प्रश्नगत वैकल्पिक भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुज्ञा वन विभाग को प्रेषित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उक्त प्लांट की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to Establish प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जैसे ही उपरोक्त समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होती है, प्लांट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं उसे कियान्वित कर दिया जायेगा।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा यह भी अवगत कराया है कि विन्दु सं0–5 में उल्लिखित वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था निर्माण होने तक वर्तमान डम्पिंग स्थल पर कतिपय सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे है। वर्तमान मे डम्पिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–119 पर सीधी ढलान पर बनाया गया है, जिसके निचले भाग पर जाने के लिऐ रास्ता उपलब्ध नही है, परन्तु नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निचले भाग तक जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने हेतु निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश दिनांक 06–09–2024 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मार्ग के बनने के उपरान्त नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित सम्पूर्ण कूड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग से 80 मी0 एक निकटतम आवास से 140 मी0 की अधिक दूरी पर ले जाया जा सकेगा तथा वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखे कूड़े एवं आर0डी0एफ0 को पृथक कर विक्रय किया जा सकेगा।
7. प्रश्नगत डम्पिंग साईट के निचले भाग पर एक बरसाती नाला/गधेरा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि बरसाती नाले में कूड़ा जाने से रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20–09–2024 को आमंत्रित कर दी गई है तथा बाउण्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त वर्णित सलि पर एक अस्थाई

एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखा एवं आर0डी0एफ0 पृथक कर विक्रय की कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थायी डम्पिंग स्थल में पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20–09–2024 को आमंत्रित कर दी गई है, जिसके उपरान्त डम्पिंग साईट पर किसी भी जानवर को जाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान में संचालित डाम्पिंग साईट में अवस्थित Legacy Waste का निस्तारण करने, वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

संलग्नः–यथोपरि।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

Toll Free No–18002578414 Email/Speed Post/by Hand

स्वच्छ पौड़ी स्वस्थ पौड़ी सुन्दर पौड़ी

!! कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी !!

(स्वच्छता ही सेवा)

Web-www.nagarpalikapauri.com

Email-nagarpalikapauri@gmail.com, दूरभाष एवंफैक्स नं0–01368221927

संख्याः– 620 /न0पा0प0/ 2024–25/पौड़ी दिनांक 21 सितम्बर 2024

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्याः–72/21–प्रशा0अधि0,स्था0 निव0–रि0अनु0आ0/2024–24 दिनांक 31 अगस्तर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में ग्राम तिमली गांव/पौड़ी, न्यू विकास कॉलोनी जिला पौड़ी गढवाल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–119 में नगर पालिका परिषद पौड़ी के कचरा डम्पिग के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियत समय से पूर्व आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 20.09.2024 को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उपजिलाधिकारी बारहस्यूं पौड़ी महोदय एवं प्रभागीय वनाधिकारी महोदय गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी गढ़वाल के द्वारा संयुक्त निरीक्षण जांच की गयी है। जो कि संलग्न है।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न– संयुक्त निरीक्षण जांच आख्या।

भवदीय,

(गौरव भसीन)
अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

प्रतिलिपिः– प्रशासक महोदय, नगर पालिका परिषद पौड़ी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

O/C

अधिशासी अधिकारी श्रेणी–1
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.–163–788/2024/568 दिनांक 15.07.2024 के अनुक्रम में मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024, प्रकरण ग्राम तिमली/ पौडी, नई विकास कॉलोनी, जिला–पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नं0–119 में नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल द्वारा कचरा डम्पिंग स्थल के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये:–

1. जिलाधिकारी पौडी गढ़वाल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. नगर निगम, पौड़ी गढ़वाल।

तत्क्रम में जिलाधिकारी गढ़वाल एवं उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्यों को नामित किया गया,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
2. उप जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी (देहरादून), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल।

नामित सदस्यों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1– निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद्, पौड़ी के अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पौडी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत 11 वार्ड आते हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 25440 है।

2– डम्पिंग साईट पर वर्तमान में नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एकत्रित कूड़े को अस्थाई तौर पर डाला जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण का कार्य नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निविदा द्वारा चयनित एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त निजी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूखे कूड़े (प्लास्टिक, कागज, गत्ते आदि) को पृथक कर कॉम्पैक्टर के माध्यम से कम्प्रेस कर विक्रय किया जाता है।

3– बिन्दु सं0–2 में उल्लिखित कूड़े के अतिरिक्त अवशेष कूडे को वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण डम्पिंग साईट पर ही डाला जा रहा है, जिस कारण उक्त डम्पिंग साईट पर विगत वर्षों का लीगेसी वेस्ट (Legacy Waste) अवस्थित है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त Legacy Waste के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) की स्वीकृति धनावंटन हेतु दिनांक 10.09.2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित कर दी गयी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन से उपरोक्त डी0पी0आर0 अनुमोदित होने के उपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत स्थल पर स्थित Legacy Waste का नियमानुसार निस्तारण करा दिया जायेगा।

4– ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली–2016 की अनुसूची–1(क 7) में दिये गये मानदण्ड़ों के अनुसार प्रश्नगत डम्पिंग साईट की स्थिति निम्नानुसार है:–

स्थिति	निर्धारित मानक	प्रश्नगत स्थल की दूरी	टिप्पणी
नदी से दूरी	100 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई नदी स्थित नहीं है।	डम्पिंग स्थल के अन्तिम कोने के 50 मी0 की दूरी पर एक बरसाती गधेरा स्थित है।
तालाब से दूरी	200 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई तालाब स्थित नहीं है।	–
राजमार्गों से दूरी	200 मीटर	राजमार्गों से दूरी–0 मी0	–
आवास स्थलों से दूरी	200 मीटर	आवास स्थलों से दूरी–60 मी0	–
सार्वजनिक उद्यानों से दूरी	200 मीटर	सार्वजनिक उद्यानों से दूरी–03कि0मी0	–

जलापूर्ति कुओं से दूरी	200 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई जलापूर्ति कुआं स्थित नहीं है।	–
हवाई अड्डे से दूरी	20 कि0मी0	87 कि0मी0	–

5– नगर पालिका परिषद् पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली–2016 के मानदण्ड़ो के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित कूड़े के पृथक्करण/प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु उल्ली बीट माण्डाखाल में नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आबद्ध की गयी है, जिसकी पर्यावरणीय (पत्र संख्याः–29–07(19) 2021 दिनांक 09 मार्च 2023) एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति (पत्र संख्याः–08 बी0/यू0सी0पी0/09/212/2016/एफ0सी0/2627 दिनांक 19 फरवरी 2020) प्राप्त हो चुकी है। वर्णित स्थल पर ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन प्लान्ट (Solid Waste Management Plant) लगाये जाने हेतु तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) (कुल लागत–9.74 करोड़) नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा शहरी विकास, निदेशालय, के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी है (पत्र संख्याः–95/न0पा0प0–05/2024–25 पौड़ी दिनांक 15 मई 2024)। प्रश्नगत वैकल्पिक भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुज्ञा वन विभाग को प्रेषित कर दी गयी है (पत्र संख्याः–106/न0पा0प0/2024–25 दिनांक 20 मई 2024)। इसके अतिरिक्त उक्त प्लान्ट की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से Consent to Establish प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जैसे ही उपरोक्त समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होती है प्लान्ट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

6– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं0–5 में उल्लिखित वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था निर्माण होने तक वर्तमान डम्पिंग स्थल पर कतिपय सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे है। वर्तमान डम्पिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–119 पर सीधी ढलान पर बनाया गया है, जिसके निचले भाग पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु नगर पालिका परिषद पौडी द्वारा निचले भाग तक जाने के लिये एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने हेतु निविदा आमन्त्रित कर कार्यादेश संख्याः–557/न0पा0प0–07/2024–25 पौड़ी दिनांक 06.09.2024 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मार्ग के बनने के उपरान्त नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित सम्पूर्ण कूड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग से 80 मीटर एवं निकटतम आवास से 140 मी0 की अधिक दूरी पर ले जाया जा सकेगा तथा वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखे कूड़े एवं आर0डी0एफ0 को पृथक कर विक्रय किया जा सकेगा।

7– प्रश्नगत डम्पिंग साईट के निचले भाग पर एक बरसाती नाला/गधेरा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बरसाती नाले में कूड़ा जाने से रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है तथा बाउण्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त वर्णित स्थल पर एक अस्थाई एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। जिससे सूखा कूड़ा एवं आर0डी0एफ0 पृथक कर विकय करने की कार्यवाही की जायेगी।

8– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थायी डम्पिंग स्थल में पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है, जिसके उपरान्त डम्पिंग साईट पर किसी भी जानवर को जाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान में संचालित डम्पिंग साईट में अवस्थित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने, वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित करना उचित होगा।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(गौरव भसीन) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी।	(डॉ0 राजकुमार चतुर्वेदी) क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	(दीपक रामचन्द्र शेट) संयुक्त मजिस्ट्रेट (बा0) पौड़ी।	21.09.24 (स्वप्निल अनिरूद्ध) प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

GPS Map Camera
Pauri,UT,India
Kharkota Laga Chopra Road, Pauri, Pauri, 246001, UT, India
Lat 30.140588, Long 78.782815
08/04/2024 01:01 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

GPS Map Camera
Pauri,UT,India
Kharkota Laga Chopra Road, Pauri, Pauri, 246001, UT, India
Lat 30.140589, Long 78.782795
08/04/2024 01:00 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

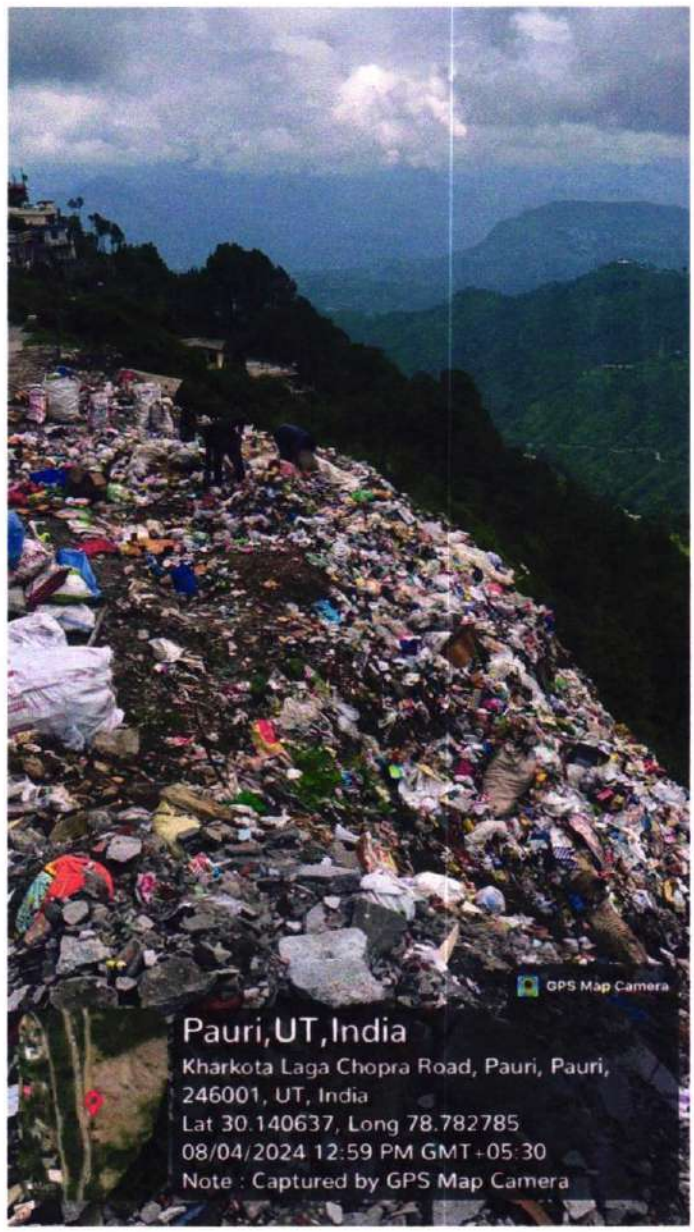
GPS Map Camera
Pauri,UT,India
Kharkota Laga Chopra Road, Pauri, Pauri, 246001, UT, India
Lat 30.140637, Long 78.782785
08/04/2024 12:59 PM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–788/2024/1293 दिनांक 03.12.2024

स्पीड पोस्ट/ई–मेल द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में समित का गठन किया था। प्रकरण पर कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद, पौड़ी के संयुक्त समिति एवं अन्य विभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20.09.2024 की प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण किया गया था जिसकी आख्या जिलाधिकारी, गढ़वाल के पत्रांक सं0– 402/21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0)/2024 पौड़ी दिनांक सितम्बर 23, 2024 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

प्राप्त आख्यानुसार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा प्रश्नगत स्थल पर संचालित निस्तारण स्थल में अव्यवस्थित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु अनुसंसित किया गया है।

उपरोक्त आख्या के अनुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान में संचालित डाम्पिंग साईट में अवस्थित Legacy Waste का निस्तारण करने, वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करें।

उपरोक्त कार्यों में वर्तमान तक हुई प्रगति की आख्या 07 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–788/2024/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 31/62 राजपुर रोड़, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

Clean Environment and Healthy Life Style
स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन शैली

Annexure-3

कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या 957 / NGT/2024–25 / पौड़ी दिनांक दिसम्बर, 04 2024

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियनत्रण बोर्ड
गौरा देवी पर्यावरण भवन
आई0टी0पार्क देहरादून।

विषय– **मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281 / 2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्याः–यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–788 / 2024 / 1293 दिनांक 03.12.2024 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281 / 2024 में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी पौड़ी के आदेश संख्या–72 दिनांक 31 अगस्त 2024 के द्वारा चार सदस्य समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा दिनांक 20.09.2024 को गारबेज डम्पिंग स्थल का निरीक्षण किया गया था। जिसे तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अपने पत्र संख्याः–503 / न0पा0प0 / 2024–25 / पौड़ी दिनांक 24 अगस्त 2024 एवं पत्र संख्याः–620 / न0पा0प0 / 2024–25 / पौड़ी दिनांक 21 सितम्बर 2024 के द्वारा जिला कार्यालय पौड़ी को प्रेषित की गयी है। (छायाप्रति संलग्न है)

उक्त जांच रिपोर्ट को जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के कार्यालय पत्र संख्याः–402 / 21–प्रशा0अधि0(स्था0नि0) / 2024 पौड़ी दिनांक सितम्बर, 23, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून को प्रेषित किया गया था।

उक्त जांच रिपोर्ट में उल्लिखित संस्तुतियों के आधार पर नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी हैः–

1. वर्तमान गारबेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गारबेज को नीचे न जाये पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार का कार्य करवाये जाने हेतु निविदा आमन्त्रित की गयी है। सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौडाई बढ जाने पर 01 MRF Centre भी बनाया जा सकेगा ।

2. नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिये एक प्राईवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। उनके द्वारा पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहनों के माध्यम से एवं पगडंडि क्षेत्र में ऐजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गारबेज एकत्रिकरण कराया जा रहा है।

3. ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर विकय के लिये भेजे जाने हेतु कैम्पैक्टर मशीन की व्यवस्था करते हुये 10 महीने के लिये एजेन्सी को हायर किया गया है। उनके द्वारा शीघ्र ही एकत्रित ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाकर शहर से बाहर भेजा जायेगा।

4. उपरोक्त वर्णित स्थल पर 7,636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गयी थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुये अपने पत्र संख्याः–3898 / 886 / SBM/SWM/ली0वे0 / 2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

5. पौड़ी नगर के ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड़ पर दाहिनी ओर उल्ली बींट न0–32 में 1.007हे0 भूमि हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आवंटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है।

6. वर्तमान गारबेज निस्तारण स्थल पर ट्रेचिंग ग्राउड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिये भी निविदायें आमान्त्रित की गयी है, ताकि गारबेज को उपर से न डाल कर प्रस्तावित होने वाली सडक से ही छँटाई के लिये ले जाया जाये।

इस प्रकार नगर पालिका पौडी द्वारा वर्तमान गारबेज ट्रेचिंग ग्राउड में उपरोक्त व्यवस्थायें की जा रही है, लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 अन्तिम परीक्षण तथा धनावंटन के लिये श0वि0निदेशालय द्वारा शासन को 4 नवम्बर 2024 को भेजी गयी है। SWM के क्रियाकलापों हेतु वन विभाग की आवंटित भूमि पर विवाद की स्थिति होने के कारण नयी भूमि के चयन का प्रयास किया जायेगा।

अतः पारित आदेशों के क्रम में पालिका के द्वारा की गयी कृत कार्यवाही की आख्या मय दस्तावेजों के साथ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

पत्र स0 व दिनाकं –तदैव–
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित।
1– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
2– जिलाधिकारी गढ़वाल।
2– संयुक्त मजिस्ट्रेट/प्रशासक नगर पालिका परिषद पौड़ी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

।।कार्यालय नगर पालिका परिषद पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल।।

संख्या 557/ न0पा0प0–7/ कार्यादेश/ दिनांक 6 सितम्बर, 2024

श्री [illegible]

[illegible]

ठेकेदार नगर पालिका परिषद

पौड़ी–गढवाल

कार्य का नाम वार्ड न0 [illegible]

[illegible]

1– आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु आमंत्रित टेण्डर रूपयें– [illegible]/ ....([illegible]) मात्र दिंनाक [illegible] को अन्य निविदाओ की तुलना में न्यूनतम पाये जाने के फलस्वरूप स्वीकृत कर लिया गया है।अतः आप पत्र के 07 दिनों के अन्दर कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर देवे, तथा इसकी सूचना से कार्यालय को अवगत करवा देवे। साथ ही कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल की फोटोग्राफ ले लेवे, एंव कार्य पूर्ण होने पर भी फोटोग्राफ कार्यालय को उपलब्ध करवायें।

2– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पालिका के अवर अभियन्ता को अवश्य सूचित कर देवे। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि कार्य आदेश निर्गत करने से पूर्व यदि आपके द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी, तथा किये गये कार्य का कोई भी भुगतान किया जाना सम्भव नही हो पायेगा।

3– कार्य को निर्धारित मानकों एंव विशिष्टियों के अनुरूप ही करवाना सुनिश्चित करें, निर्माण सामग्री में सही माप का ही उपयोग किया जायेगा।

4– कार्य पूर्ण करने हेतु विशेष परिस्थितियों को छोड़कर या दैवी आपदा आदि आने से ही समयावृदि बढाई जायेगी, अन्यथा निर्धारित समय पर ही कार्या पूर्ण होना अनिवार्य होगा।

5– सीमेंट,कंकीट,सी0सी0 कार्य अवर अभियन्ता/ सुपर वाईजर की उपस्थिति में ही कराये जायेगें, कार्य प्रारम्भ करने से दो दिन व पूर्व सूचना कार्यालय को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

6– यदि कार्य के दौरान किसी मजदूर/ श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना आदि घटित होती है, इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

7– कार्य निर्धारित समयावधि(यानि 04 माह अन्दर) पूर्ण करना होगा, इसके लिये अतिरिक्त समय दे पाना सम्भवं नही हो पायेगा, तथा निर्धारित धनराशि में ही कार्य किया जाये, यदि कार्य में बढोत्तरी आदि होती है तो बढे हुए कार्या का भुगतान किया जाना सम्भव नही हो पायेगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि यदि कार्य निश्चित अवधि के अन्दर पूर्ण नही किया जाता है तो नियमानुसार कार्य की लागत का 10 प्रतिशत की धनराशि तक सम्बन्धित ठेकेदार के बिल से काटी जायेगी।

8– कार्य पर लगी धरोहर धनराशि 10 प्रतिशत 1वर्ष बाद ही वापस कर जायेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी –गढवाल

प्रतिलिपिः1– प्रशासक महोदया नगर पालिका परिषद पौड़ी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
अवर /सहायक अभियन्ता नगर पालिका परिषद पौडी को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्य सही गुणवत्ता के आधार पर करवाना सुनिश्चित करें , कार्य में यदि शिकायत आती है, तो इसकी सर्मूण जिम्मेदारी आपकी होगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी –गढवाल

<u>अधिशासी अधिकारी / प्रशासक महोदया</u>

आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नगर पालिका परिषद पौडी शहरान्तर्गत वि[illegible] वार्डों में जनहित व वर्षाकाल से क्षतिग्रस्त हुये निर्माण कार्य के आंगणन बनाये गये है, महोदया निम्न [illegible] कार्यों में अधिकत्तर कार्य वर्षाकाल आपदा से क्षतिग्रस्त है और जिन पर पुर्न निर्माण की कार्यवाही शीघ्र करना आवश्यक है।जो पत्रावली के दहिने ओर संल्गन है का विवरण निम्न प्रकार है।

कम0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाख रूपयें में।
1	वार्ड न0 11 में कोटद्वार रोड़ से मल्ली राई जानें वाले रास्तें में नरेन्द्र बिष्ट के घर के पीछे क्षतिग्रस्त दीवार का कार्य।	1.97
2	वार्ड न04 में एजेन्सी चौक से एस.डी.एम.आवास तक टाईल्स, रैलिग का निर्माण कार्य।	18.75
3	वार्ड न0 10 में अपर चौपड़ा में विपिन गौराला के घर के समीप क्षतिग्रस्त पुस्ता का पुनः निर्माण कार्य।	2.28
4	वार्ड न0 10 में अपर चौपडा में कोटद्वार रोड पर मीना बिष्ट के घर के समीप क्षतिग्रस्त पुस्ते का निर्माण कार्य।	2.32
5	वार्ड न0 7 में नौटियाल के घर से राकेश थपलियाल के घर तक रास्ता, दीवार निर्माण कार्य।	7.50
6	वार्ड नव 8में बस स्टेशन के समीप नाली का सुधारीकरण का कार्य।	6.35
7	वार्ड न0 10 में तिमली रोड से ट्रिचिंग ग्राउन्ड के अन्तिम बिन्दु तक मार्ग निर्माण कार्य।	4.70
8	वार्ड न0 5 में पौड़ी गॉव में भक्ति शाह के घर से सोहन लाल के घर तक क्षतिग्रस्त नाली का पुनः निर्माण कार्य।	4.25
9	वार्ड न0 4 में एस0डी0एम0 आवस के समीप पार्क का सौन्दीयकरण का कार्य।	6.25
10	वार्ड न0 4 में थाने के ऊपर पार्किग में बाल्मिकी मन्दिर स्थापना हेतु प्लेटफार्म, टिन शैड का निर्माण कार्य।	9.97

अतः महोदय सहमति की दशा में उपरोक्तनुसार प्रस्तावित कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करतें हुये कार्य के टेण्डर 7 दिनों के अन्दर आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करना चाहे।

24.7.24

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी गढ़वाल।

...विद्युत बिल... www.upcl.org पर जाएं। (विद्युत चोरी ...) टोल फ्री 1800 180 4185/ फैक्स संख्या - 0135-2760911 पर दें।)

49

भौतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर-23, शॉल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) को मांग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्जदार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ भौतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	तरुण तनेजा/ रिया तनेजा/ LBHWR00004948946 LBHWR00005312973	मकान खसरा नंबर 811 मिन. में स्थित, खन्ना नगर कॉलोनी, ग्राम अहमदपुर कड़च्छ, परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार, उत्तराखंड/ सितंबर 18, 2024	जुलाई 30, 2022 रु. 62,80,572/-	हरिद्वार

उपरोक्त दर्शाए गए कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) एवं जमानतदार(रों) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् कब्जे की संपत्ति(यों) नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : सितंबर 20, 2024
स्थान : हरिद्वार

भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

भौतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर-23, शॉल टॉवर, तीसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) को मांग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्जदार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ भौतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	हरि गोपाल/ मुन्नी देवी/ LBHWR00005551105	प्लॉट नंबर 23, खसरा नंबर 370, वार्ड नंबर 59 सीतापुर, में स्थित ग्राम ज्वालापुर, (नगर निगम के अंदर), परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार, उत्तराखंड- 249407/ सितंबर 18, 2024	दिसंबर 18, 2023 रु. 22,00,750/-	हरिद्वार/ चमोली/ बिजनौर

उपरोक्त दर्शाए गए कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) एवं जमानतदार(रों) को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् कब्जे की संपत्ति(यों) नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : सितंबर 20, 2024
स्थान : हरिद्वार एवं चमोली

भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

कार्यालय नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल

फोन न. - 01368-221927 Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या : 605/न.पा.प./2024-2025/रा.वि./ दिनांक 19.09.2024

ई-निविदा

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा (टू-बिड निविदा प्रणाली) के अन्तर्गत इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों से दिनांक 08.10.2024 सायं 4.00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 09.10.2024 को अपरान्ह 3.00 बजें निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित सभी सूचनायें/जानकारी एवं शुद्धि पत्र http://www.uktender.gov.in पर दिनांक 23.09.2024 से उपलब्ध होगी।

कार्य का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु. लागत लाख में	धरोहर धनराशि	निविदा फार्म का मूल्य	निविदा की वैधता	कार्य करने की अवधि
	वार्ड न. 10 में चौखम्बा लॉज के समीप अस्थाई टैन्चिंग ग्राउंड में आर.सी.सी. सुरक्षा दीवार एवं निर्माण कार्य।	62.85	1,25,700.00	4000+ जी.एस.टी	90 दिन	06 माह

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी

सुरक्षा व्यवस्था में

अगस्त्यमुनि/एसएनबी। नगर व्यापार मंडल के अध्... अगस्त्यमुनि नगर की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। ... अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र के दस संवेदनशील जगहों पर सीसीट... नगर व्यापार मंडल की ओर से किया गया है।

बता दें कि विगत दिनों अगस्तयमुनि के विजयनगर में ... घटना हुई थी। जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पा... ज्वैलरी शॉप में चोरी करने वाला व्यक्ति एक सीसीटीवी कै... नजर आया, लेकिन स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई। क्योंकि श... नगर पंचायत एवं पुलिस विभाग द्वारा लगाये गये सीसीटीवी... खराब पाये गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर व्यापार ... के अध्यक्ष त्रिभुवन नेगी ने व्यापार मंडल के कोष से नगर ... सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया और व्यापार मंड... सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भी इस पर सहमति दी।

ऐसी दस संवेदनशील जगहों, जहां पर व्यापारी द्वारा ... उपलब्ध कराये गये, पर ये कैमरे लगाये गये है। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष त्रिभुवन नेगी ने बताया कि भविष्य में होने वाली किसी अप्रिय घटना, चोरी आदि की घटनाएं घटित होने पर इन कैमरों का लाभ मिलेगा। बताया कि एक कैमरा लगाने में लगभग 24 सौ रुपये लगे हैं। इस प्रकार कुल 24 हजार रुपये व्यापार मंडल की ओर से इस पर खर्च किए गये है। नगर पंचायत के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए यह नाकाफी है, मगर व्यापार मंडल के पास इतनी ही धनराशि है। इसके लिए नगर पंचायत एवं उप जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि नगर क्षेत्र में और भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। जिस पर एसडीएम आशीष ध्यानी ने आ वासन दिया है। कैमरों को लगवाने में पूर्व अध्यक्ष मोहन रौतेला, कोषाध्यक्ष विक्रम नेगी, महामंत्री मनीष बिष्ट, विक्की आनन्द सजवाण, कुलदीप नेगी आदि का सहयोग रहा।

नशे से दूर रहें छात्र-छात्राएं

कोटद्वार/रिखणीखाल। थानाध्यक्ष रिखणीखाल संतोष पैथवाल ने राजकीय इंटर कालेज कर्तिया में स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ कानूनी पाठशाला का आयोजन किया। थानाध्यक्ष ने छात्र-छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बचाव और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। कहा कि नौनिहालों को मादक पदार्थों के सेवन करने से दूर रहना चाहिए। इस मौके पर प्रधानाचार्य सुशील टम्टा, पूर्व प्रधानाचार्य निसार सिद्दीकी, अनिल [illegible] ममता असवाल, सिकंदर परमार आदि शिक्षक तथा अपर उप निरीक्षक कैलाश जोशी, हेड कांस्टेबल शम्भू प्रसाद, सुशील, राजेश व देवेश आदि थे।

क...

संख्या : 719/...

अधिसूच...
नियमावली-20...
जनपद पौड़ी ग...
आवेदको से पू...

क्र.सं.	प्रक्रि...
01	निधा...
02	आवे...
03	प्राप्त...
04	पूर्ण... राजस... का स...
05	ऑफ...

निर्धारित प्...
स्वीकृति/अस्वी...
दुकान का...
विदेशी मदिरा ... का नाम

चैलूसैण/द्वारीखा...
निर्धारित पू...
गारन्टीड अभिक...
बैंक ड्राफ्ट जमा...
उपरोक्त वि...
में हैसियत प्रमाण...
से सम्बन्धित विस्...

संख्याः ——— /X-3-20/1(303)/2016

प्रेषक,

विजय कुमार यादव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन अनुभाग–03 देहरादूनः दिनांकः 24 जुलाई, 2020

विषयः– जनपद–पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नगरपालिका पौड़ी हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 1.007 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2193/FP/UK/Others/19863/2016 दिनांक 22 फरवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद– **जनपद–पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नगरपालिका पौड़ी हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु 1.007 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने** की विधिवत स्वीकृति दिये जाने विषयक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./09/212/2016/एफ.सी./2627 दिनांक 19.02.2020 के आधार पर निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग,संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नही करेगा।

(3) निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(4) प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर 955 वृक्षों वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रखरखाव किया जायेगा।

(5) प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाता है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।

(6) उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगा।

(7) वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(8) वन विभाग तथा उसके अभिकर्ता को किसी भी समय जब वे जब वे आवश्यक समझे,हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(9) मा0 उच्चतम् न्यायालय/भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण हेतु बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थानान्तरित किया जायेगा।

(10) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(11) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

(12) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत् मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

(13) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

(14) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(15) प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक डिस्पोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा व उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे/नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

(16) निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यक न्यूनतम् वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

(17) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या 198/7–जी–सी–89–3–89, दिनांक 19.06.1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक–0070– अन्य प्रशासनिक सेवायें–01–न्याय प्रशासन–501–सेवायें और सेवा फीस–01–की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पट्टा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही निष्पादित किया जायेगा।

(18) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जारी हैन्ड बुक के Annexure-V में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(19) जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।

(20) प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का **RCC Piilars** लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर **Forward** तथा **Back bearing** अंकित किया जाय।

(21) प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष काटे नहीं जायेगें।

(22) उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृति के आदेश दिनांक 19.02.2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(विजय कुमार यादव)
अपर सचिव।

संख्याः 353(1)/ X-3–20/1(303)/2016, तददिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, शहरी विकस विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
7. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर,देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।

E-mail

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड, देहरादून–248001
Email id –sbmurbaninfo@gmail.com, sbmurbanuk@gmail.com

पत्रांकः–3898 /886/SBM/SWM/ली०वे०/2022-23 दिनांकः–04 नवम्बर अक्टूबर, 2024

सेवा में,

अपर सचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तराखंड शासन, देहरादून।

विषय– नगर पालिका परिषद पौड़ी की लीगेसी वेस्ट की डी०पी०आर० तथा आर०एफ०पी० प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी के कार्यालय पत्र संख्या–586/न०पा०प०/2024–25/पौड़ी दिनांक–10.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत माण्डाखाल स्थित वर्तमान ट्रेंचिंग ग्राउण्ड में लीगेसी वेस्ट की डी०पी०आर० लागत रू० 95.05 लाख की स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्राप्त हुई है।

2– उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि निकाय द्वारा दिनांक–18.01.2024 को उक्त स्थल पर ड्रोन सर्वे कराया गया, जिसमें 4316.80 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैले लीगेसी वेस्ट का घनत्व 0.900 मीट्रिक टन प्रति घन मीटर के आधार पर, प्लाट–1 पर जिसकी औसत ऊंचाई 2.11 मीटर, 6396.63 घन मी० एवं प्लाट–2 पर जिसकी औसत ऊंचाई 2.0 मीटर, 2586.98 घन मी०, कुल मात्रा 8983.60 घन मी० आंकलित की गयी है। इस प्रकार उक्त स्थल पर लीगेसी वेस्ट की कुल मात्रा 7636.07 मीट्रिक टन कूड़े का आंकलन किया गया है।

3– उक्त प्रस्ताव में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु स्वच्छ भारत मिशन 2.0(शहरी) की निर्धारित दर रू० 550.00 प्रति मीट्रिक टन के आधार पर रू० 41,99,836.00 धनराशि का आंकलन नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा किया गया है। उक्त के अतिरिक्त मौजूदा डंपसाइट से कूड़े को निपटान स्थल तक परिवहन (10 ton capacity for 25km strength per trip total 1 trip per 5 hour) किये जाने हेतु रु० 28,72,800.00 की धनराशि एवं लीगेसी वेस्ट के लदान/उत्खनन् में रु० 20,34,900.00 की धनराशि, तथा मानव संसाधन में रु० 3,98,048.80 धनराशि की अतिरिक्त लागत का आंकलन किया गया है, जो कुल रु 53,05,745.80 है। इस प्रकार उक्तानुसार डी०पी०आर० में लीगेसी वेस्ट के प्रसंस्करण और निस्तारण हेतु प्रति मीट्रिक टन रू० 1244.82 की लागत दर से कुल रु० 95,05,580.66 की धनराशि का आंकलन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

4– उक्त के क्रम में निकाय द्वारा प्रस्तावित प्रति मीट्रिक टन रू० 1244.82 की लागत दर से लीगेसी वेस्ट के प्रसंस्करण/निस्तारण हेतु कुल रु० 95,05,580.66 की धनराशि के सापेक्ष स्वच्छ भारत मिशन 2.0(शहरी) की निर्धारित दर रू० 550.00 प्रति मीट्रिक टन के आधार पर रू० 41,99,836.00 धनराशि लागत का वहन स्वच्छ भारत

...शन 2.0(शहरी) के अंतर्गत तथा अतिरिक्त व्ययभार प्रति मीट्रिक टन रू० 694.82 की दर से रू० 53,05,744.66 धनराशि का वहन नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों/स्रोतों से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी के उक्त पत्र के साथ संलग्न डी०पी०आर० के संबंध में उक्तानुसार प्रस्ताव पर शासन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–डी०पी०आर० मूल प्रति

भवदीय,

(डॉ० ललित नारायण मिश्र)
अंपर निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० ललित नारायण मिश्र)
अपर निदेशक।

DPR & RFP
-HARD Copy in UDD.

ree No–18002578414 Email/Speed Post/by Hand

स्व. पौड़ी स्वस्थ पौड़ी सुन्दर पौड़ी

!! कार्यालय–नगर पालिका परिशद पौडी !!

(स्वच्छता ही सेवा)

Web-www.nagarpalikapauri.com

Email-nagarpalikapauri@gmail.com, दूरभाष एवंफैक्स नं0–01368221927

संख्या 586 /न0पा0प0/ 2024–25/पौड़ी दिनांक 10 सितम्बर 2024

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय देहरादून
उत्तराखण्ड।

विषय– लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 तथा आर0एफ0पी0 प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद पौड़ी को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन योजना माण्डाखाल में स्वीकृत हुई है। इससे पूर्व वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में पड़े लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक रूप से उपचार किया जाना है। जिस हेतु लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 रू0–95.05 लाख की गठित की गयी है तथा साथ ही आर0एफ0पी0 भी तैयार कर ली गयी है। जिसे महोदय की सेवा में स्वीकृति हेतु 02–02 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 की धनराशि रू0–95.05 लाख आंवटित करते हुए तथा आर0एफ0पी0 की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

प्रतिलिपि– सचिव शहरी विकास महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौडी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या 933 / गारबेज प्रोसेसिंग / 2024–25 / दिनांक नवम्बर 30, 2024

मैसर्स भगवती फील्ड सर्विस प्रा0 लि0,
16, स्वर्गलोक सराय, ज्वालापुर,
हरिद्वार ।

विषयः– **नगर पालिका परिषद पौडी के पृथक तथा एकत्रित किये गये सूखे कूडे से प्रोसिंग करते हुये कौम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियॉ बनाना तथा उसे विकय किये जाने की कोटेशन स्वीकृति तथा कार्य आरम्भ किये जाने विषयक।**

उपरोक्त विषयक आमन्त्रित कोटेशन मे आपकी फर्म की कोटेशन न्यूनतम दर रू0 24,000/– (रू0 चौबीस हजार) प्रतिमाह (जी0एस0टी सहित) प्राप्त हुई है। कोटेशन समिति की संस्तुति पर प्रशासक महोदय द्वारा उपरोक्त दर अन्तिम रूप से दिनांक 26/11/2024 को स्वीकृत की गयी है। यह कार्य दिनांक 01 दिसम्बर 2024 से 10 माह की अवधि अर्थात माह सितम्बर 2025 तक के लिये स्वीकृत किया गया है। इस कार्यादेश जारी होने के पश्चात् दिनांक 01/12/2024 से आप नगर पालिका परिषद पौडी के पृथक तथा एकत्रित किये गये/करते हुये सूखे कूडे से प्रोसिंग करते हुये कॉम्पैक्टर के माध्यम से सिल्लियॉ बनाना तथा उसे विकय किये जाने की कार्यवाही निम्न शर्तों/नियमों के अधीन करना सुनिश्चित करेंगे।

1. यह कि रू0 100/– का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय मे आकर अनुबन्ध करना।
2. कार्य आरम्भ करने की सूचना भी कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे।
3. माह में तैयार 100 सिल्लियों का ट्रांसपोटेशन का व्ययभार ऐजेन्सी का होगा तथा सिल्लियों की विकय राशि से 10 प्रतिशत राशि पालिका में जमा करनी होगी। तथा इसके पर्याप्त दस्तावेज तैयार किये जायेंगे तथा संरक्षित रखे जायेंगे।
4. रू0 50,000/– की जमानत कार्यालय में बन्धक करके जमा करनी होगी।
5. गारबेज का प्रथृकीकरण पालिका के कलैक्शन स्पोट तथा टृंचिंग ग्राउड पर किया जायेगा। वहॉ से इसे मजबूत बैग मे पालिका की पूर्व मे स्थापित कौम्पैक्टर मशीन के पास लाया जायेगा। सिल्लियॉ तैयार करने के पश्चात पालिका के स्टोर मे रखा जायेगा। परन्तु स्टोर मे 100 सिल्लियो से अधिक किसी भी दशा मे मान्य न होगा।
6. कौम्पैक्टर वाले स्थान पर केवल 02 सिल्लिया ही चालू कार्य मे रहेगी, वहॉ पर इससे ज्यादा सिल्लिया रखना प्रतिबन्धित होगा तथा बाहर कोई भी गारबेज नही डाला जायेगा।
7. ऐजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सिल्लियॉ बनाने का कार्य दिन की क्लोजिंग पर कौम्पैक्टर मशीन के अन्दर उत्तम दर्ज की साफ–सफाई करने के पश्चात ही कार्मिक को भेजा जायेगा।
8. पृथकीकरण के लिये ऐजेन्सी पूर्व मे डोर–टू–डोर का कार्य कर रही कम्पनी की भी सहायता लेगी और अपने कार्मिको के माध्यम से भी यह कार्य करायेगी। बेहतर होगा कि ऐजेन्सी स्थानीय रैग पिकर को लिस्टेट कर उनसे स्थानीय स्तर पर एक निशचित रकम तय कर कूडा ले लेवे।
9. कौम्पैक्टर मशीन पर होने वाला विधुत का व्यय पालिका द्वारा वहन किया जायेगा परन्तु कौम्पैक्टर की मरम्मत सम्बधित ऐजेन्सी के द्वारा की जायेगी।
10. सिल्लियो को मजबूत वायर से बॉधना होगा। प्रत्येक सिल्ली लगभग 60 कि0ग्रा0 से कम की नही होगी।

11. ऐजेन्सी को प्रतिमाह सिल्लियो 60 किग्राम तथा संख्या मे 100 होने पर ही भुगतान किया जायेगा। के आधार पर तथा उसकी दी गयी और पालिका से स्वीकार किये जाने वाली दर के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।
12. ऐजेन्सी द्वारा सिल्लियो की बिक्री की 10 प्रतिशत राशि पालिका मे जमा कर दिये जाने एवम लेखा/सफाई अनुभाग से पुष्टि हो जाने के पश्चात भुगतान किया जायेगा।
13. ऐजेन्सी को सफाई कार्य मे लागू , कर कटौती करते हुये भुगतान किया जायेगा।
14. इस कार्य से पौडी शहर की गन्दगी से निजात दिलाने का कार्य होगा। कार्य की सफलता से पौडी शहर मे पर्यावरणीय सन्तुलन मे बढोत्तरी होगी। कार्य से पौडी शहर की स्वच्छता की रैकिंग मे भी सुधार होगा और पौडी शहर एक साफ शहर तथा सुन्दर शहर बनाया जा सकेगा। कार्य से स्थानीय रैग पिकर्स यदि वह ऐजेन्सी के साथ काम करना चाहेगे तो उन्हे भी फायदा होगा और कार्य के विस्तारीकरण के पश्चात स्थानीय युवाओ को भी रोजगार मिल सकेगा। फर्म को अधिकार होगा कि वह स्थानीय स्वंय सेवी संस्थाओ से भी सहयोग ले सकेगी, परन्तु कार्य सबलेट नही किया जायेगा।
15. इस कार्य की अवधि अनुबन्ध की दिनाकं से 10 माह के लिये होगी। कार्य की सफलता के आधार पर इसे प्रथम बार 10 माह की अवधि तक के लिये बढाया जा सकेगा।
16. कार्य मे लापरवाही अथवा दुषपरिणाम आने या प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा उच्च स्तर से कार्य को बन्द करने की दशा मे यह अनुबन्ध 15 दिनो के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सफल ऐजेन्सी का कोई दावा स्वीकार न होगा।
17. ऐजेन्सी के द्वारा यदि समय से पूर्व कार्य बन्द किया जाता है तो उसे ब्लैकलिस्टं कर दिया जायेगा और पुनः इसके लिये दरे प्राप्त की जायेगी, अथवा इन्ही न्यूनतम दरो पर किसी अन्य ऐजेन्सी से कार्य लिया जा सकेगा। उनकी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी
18. कार्य मे लापरवाही अथवा दुष्परिणाम आने या प्रतिकूल प्रभाव पडने अथवा उच्च स्तर से कार्य को बन्द करने की दशा मे यह अनुबन्ध 15 दिनो के भीतर समाप्त कर दिया जायेगा। इस पर सफल ऐजेन्सी का कोई दावा स्वीकार न होगा। उनकी जमा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. ऐजेन्सी के द्वारा यदि अनुबन्ध अवधि से पूर्व कार्य बन्द किया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा और पुनः इसके लिये दरे प्राप्त की जायेगी।
20. यह कार्य उपरोक्त शर्तों तथा सम्पादित होने वाले अनुबन्ध के आधार पर निष्पादित किये जायेगा, परन्तु भवष्यि मे यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रथम दोनो पक्ष आपस मे विवाद को निपटायेगे । किसी भी पक्ष के असन्तुष्ट होने पर विवाद का न्यायालय क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र पौडी रहेगा।

अतः कृपया उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्यवाही एवम कार्य करना सुनिश्चित करे।

30/01/024

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद् पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

पत्र स0 व दिनाकं –तदैव–

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ प्रेषित।

1:– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– जिलाधिकारी, पौडी ।
2:– संयुक्त मजिस्ट्रेट/प्रशासक, नगर पालिका परिषद पौडी ।

30/01/024

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद् पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK88215856406626S
Certificate Issued Date	:	24-Sep-2020 11:08 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1221704/ PAURI/ UK-PG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122170479533020378865S
Purchased by	:	ADHISHASHI ADHIKARI NAGARPALIKA PARISHAD PAURI
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	Lease
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	ADHISHASHI ADHIKARI NAGARPALIKA PARISHAD PAURI
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	ADHISHASHI ADHIKARI NAGARPALIKA PARISHAD PAURI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

E.Stamping U.K
S.S Negi
Licence No- 18 / 2005

Please write or type below this line

पट्टा विशेष

यह पट्टा सन् 2020 के सितम्बर माह की 25 वीं तिथि दिन शुक्रवार तदनुसार श्री सम्वत् 2077 के,अश्विन मास की 09 वीं तिथि दिन शुक्रवार उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल महोदय, की ओर से प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल, वन प्रभाग, पौड़ी जिनको यहां आगे चलकर पट्टा दाता कहा जाता है प्रथम पक्ष कहा जाता है तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी जिनको आगे चलकर पट्टेदार कहा गया है द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी (गढ़वाल)
द्वितीय पक्ष

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी
प्रथम पक्ष

क्रमशः ...2

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.

A. चूंकि पट्टेदार को जिला पौड़ी के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद पौड़ी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए नगर पालिका परिषद पौड़ी को प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को चयनित भूमि स्थान माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड़ पर दाहिनी ओर उल्ली, ब्लॉक बीट नं0 32 सीगडबीट निकट रामाराणाधार हेतु 1.007 है0 की आवश्यकता है और पट्टेदार के बावत वन भूमि जिसका विवरण इससे सम्बन्ध अनुसूची में दिया हुआ है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस अभिलेख में संलग्न रेखाचित्र जीयोरेफरेन्स मैप– क्र0सं0–1 Longitude 78° 49' 32.26''E , Latitude 30° 7'' 45.055''N, क्र0सं0–2 Longitude 78° 49' 36.173''E Latitude 30° 7'' 43.139''N, क्र0सं0–3 Longitude 78° 49' 37.37.684''E Latitude 30° 7'' 45.909''N, क्र0सं0–4 Longitude 78° 49' 34.953''E Latitude 30° 7'' 48.139''N, जो प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी के कार्यालय में पूर्व ही भेजा जा चुका है वो रंग रो. दर्शाई गई है पट्टे पर दिये जाने हेतु पट्टेदाता से अनुरोध किया है।

B. और चूंकि पट्टेदाता उक्त वन भूमि का पट्टेदार के नाम एतद्पश्चात अभिव्यक्त अधिकारी निर्बन्धन को एवं प्रसंविदाओं के अधीन हस्तानान्तरित करने के लिए सहमत हुए हैं।

C. और चूंकि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1933 (FP/UK/others/19863/2016 (देहरादून) दिनांक 23.02.2020 (नगर पालिका पौड़ी के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/others/19863/2016) के प्रस्तावानुसार भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या– 8बी/ यू0सी0पी0 /09/212 /2016/ एफ0सी0/2627 दिनांक 19.02.2020 तथा 2020 उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–353(1)/X-3-20/1(303)/2016 दिनांक 24 जुलाई 2020 के द्वारा जिला पौड़ी में चयनित भूमि स्थान माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड़ पर दाहिनी ओर उल्ली, ब्लॉक बीट नं0 32 सीगडबीट निकट रामाराणाधार हेतु 1.007 है0 नगर पालिका परिषद पौड़ी को 30 वर्ष हेतु लीज पर देने की स्वीकृति/अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिती में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन ही करेगा, तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तांन्तरित नही करेगा।
3. निर्माण कार्य शुरु करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजना के दोनो और रिक्त पड़े स्थानों पर 955 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख रखाव किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधिन या उन से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन संम्पदा को क्षति पहुंचाता है, तो उस के लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर वाध्य कारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक की प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिती उक्त भूमि अथवा ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान किये यथास्थिती वापस प्राप्त हो जायेगा।
7. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्त्रित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ता को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्त्रित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. मा0 उच्चतम न्यायलय/ भारत सरकार द्वारा यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण हेतु बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासम्भव किया जायेगा, व देय धनराशि को (ad-hoc CAMPA) कोष को स्थान्तरित किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्ती द्वारा जनपद कार्यवल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझाओं का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना का निर्माण एवं तदोपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नही पहुंचाया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्माण में कार्यरत, मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/ किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
13. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा।
14. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की वन भूमि से परियोजना निर्माण के दौरान मिटटी/ पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नही किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी (गढ़वाल) द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष
प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी

क्रमशः ...3

15. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर मक... प्रोजल का कार्य प्रस्तुत की गयी योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा। ...ता एजेन्सी द्वारा उक्त सर्जित मलवे का निस्तारण चिन्हित स्थलों पर ही किया जायेगा, व उक्त सर्जित मलवे को किसी भी दशा में पहाड़ों के ढलान से नीचे, नदी में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

16. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा, एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

17. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुये एक पटटा अभिलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधिवत करवाया जायेगा, एवं पटटा अभिलेख के विधिक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोष्ठक के शासनादेश संख्या 198/7–जी0–सी0–89–3–89, दिनांक 19/06/1989 के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक– 0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–01– न्याय प्रशासन– 501– सेवायें और सेवा फीस– 01– की गयी सेवाओं के लिये भुगतान की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति पटटा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी, उपरोक्तानुसार प्रस्तुत पटटा विलेख शासन द्वारा विधीक्षित किये जाने के उपरान्त ही निष्पादित किया जायेगा।

18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी हैण्ड़बुक के Annexure-V में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

19. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लिज रेन्ट लिया जायेगा।

20. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का Rcc pillars लगा कर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing अंकित किया जाय।

21. प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष काटे नही जायेंगे।

22. उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत विधिवत स्वीकृती के आदेश दिनांक 19/02/2020 में उल्लेखित समस्त शर्तों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

23. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असन्तोष जनक अनुपालन होने की स्थिति में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृती को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

24. लीज पर दिये जाने के बाद भी प्रसंगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। तथा नगर पालिका परिषद पौड़ी भूमि अथवा इसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग उक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही उपयोग में लायेगी।

25. उक्त भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी जब तक नगर पालिका परिषद पौड़ी को इसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि नगर पालिका परिषद पौड़ी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग की आवश्यकता नहीं रहेगी तो यथा स्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग जो नगर पालिका परिषद पौड़ी के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग उत्तराखण्ड सरकार को बिना प्रतिकर के भुगतान के वापस हो जायेगा।

26. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय व आवश्यक समझें प्रसंगत भूखण्ड पर प्रवेश करने व उनका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

27. नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा पट्टा अभिलेख में उल्लेखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

D. पट्टाभिलेख के विधिक्षण हेतु न्याय विभाग के कन्वेंसिंग शासनादेश संख्या 198/7–जी0सी0 89–3–89 दिनांक 19–6–89 के अनुसार निर्धारित विधिक्षिका शुल्क विधिक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक 0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें– 01– न्याय प्रशासन 501 सेवायें, और सेवा फीस 01 की गई सेवाओं के लिए भुगतानों की उगाही के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान संख्या– 00007 .... दिनांक 05-10-2020 सितम्बर 2020 द्वारा जमा करा दिया गया है।

E. अतः उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृति के संबंध में समय–समय पर यथावत संशोधित गर्वमेन्ट प्रसटस एक्ट संख्या– 15–1985 के अधीन निष्पादित यह विशेष साक्षी है कि प्रसंगत 1.007 हैक्टेयर भूमि को कीमत बाजार दर प्रीमियम धनराशि जिलाधिकारी गढ़वाल के आदेश संख्या 224/15–प्रशा0अधि0राजस्व/2019–20 दिनांक:पौड़ी: अगस्त 21, 2020 से वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) निर्धारित कराकर अंकन रूपये 14,12,852.00 वृक्षो की क्षति पूर्ति के रूप में वृक्षारोपण हेतु एवं प्रत्यावर्तित भूमि के बदले जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश संख्या 1910/26–प्रशा0अधि0शा0प्रशा0/2015 दिनांक 01.04.2016 के आदेशानुसार इसके दुगनी भूमि 2.014 है0 ग्राम श्रीकोट सिविल सोयम भूमि परु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रूपये 5,61,231.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम श्रीकोट सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया गया है एवं एन0 पी0 वी0 की देय धनराशि रू0 8,50,915.00 कुल 14,12,146.00 रूपये चौदह लाख बारह हजार एक सौ छियालीस मात्र चालान नं0 BB/UCP/09/212/2016/FC OF Project, खाता संख्या–1508919919863 15 Corporation Bank, Lodhi Complex Branch IFS Code CORP000371 Date:-24-04-2018 तथा कुल धनराशि रू0 28,24,998.00(अठ्ठाईस लाख चौबीस हजार नौ सौ अठ्ठानब्बे मात्र) पर जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतदद्वारा स्वीकार करता है और वह सब भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इसमें दिया गया है पट्टेदार को उक्त प्रयोजन हेतु सन् 2020 ई0 के सितम्बर मास से सन् 2050 ई0 के सितम्बर मास तीस वर्ष की अवधि तक के स्थान माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड़ पर दाहिनी ओर उल्ली, ब्लॉक बीट नं0 32 सीगडबीट निकट रामाराणाधार हेतु 1.007 है0 वन भूमि नगर पालिका परिषद पौड़ी के लिए हस्तानान्तरित करते हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी (गढ़वाल)

द्वितीय पक्ष
क्रमशः...

F. और पट्टा से प्रसंविदा करता है कि पट्टेदार द्वारा पट्टे की किसी शर्त का उल्लघंन नहीं किया गया है, तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि समाप्त होने और उसके पश्चात् समय-समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूखण्ड का नया पट्टा नवीनीकरण के लिये प्रस्ताव को सक्षम स्तर पर अग्रेषित करेगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि रहेगा इस प्रकार के नवीनीकरण अवधियों इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 वर्ष से अधिक न होगी और उक्त भूखण्ड के प्रत्येक नवीकत पट्टे में इस विलेख की केवल उन्हीं प्रसंविदाओं उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों का समावेश होगा, जो इस समय लागू होंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसी सब दरों करों तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तान्तरित भूखण्ड में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय हैं, अथवा भविष्य में देय होंगे और इस विलेख के दोनों पक्ष यह करार करते हैं कि-

G. पट्टेदार द्वारा पट्टेदाता को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के निर्माण हेतु 1.007 है0 भूमि के बदले जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश संख्या 1910/26-प्रशा0अधि0श0प्रशा0/2015 दिनांक 01.04.2016 के आदेशानुसार इसके दुगनी भूमि ग्राम श्रीकोट पट्टी खतस्यूं के खेत नं0 685 रक्वा 1.124 है0 एवं खसरा नं0 1315 मध्ये रक्वा 0.890 है0 नॉन जेड0ए0खतौनी के खाता संख्या 11/194 में श्रेणी 10 (4) में भींटा दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.014 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तानान्तरित की गई है।

H. प्रसंगत भूमि जो नगर पालिका परिषद पौड़ी को भूमि स्थान माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड़ पर दाहिनी ओर उल्ली, ब्लॉक बीट नं0 32 सीगडबीट निकट रामाराणाधार हेतु 1.007 है0 को पट्टे पर हस्तानान्तरण की गई है। हस्तानान्तरण के बाद भी आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी एवं उसके वर्तमान वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस विलेख से उत्पन्न या उसके सम्बन्ध में या उसके विषय पर यदि कोई भी विवाद मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके किसी दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह पंच निर्णय के लिए सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक को भेजा जायेगा और इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अंतिम होगा तथा इस विलेख के दोनो पक्ष उससे बाध्य होगें।

I. पट्टेदाता को यह अधिकार होगा कि यह विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि को सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड के प्रमाण- पत्र पर जो अंकित विनिश्चायक तथा पट्टेदार पर बाध्यकारी होगां। भूराजस्व के बकाया के रूप में पट्टेदार से वसूल कर ले।

J. इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में देय रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा शुल्क व्यय पट्टेदार वहन करेगा। इसके पूर्व प्रयुक्त शब्द पट्टेदाता और पट्टेदार के सम्बन्ध में जब जक उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो पट्टेदाता की दशा में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं अभ्यपत्तियों का अन्तभाव है।

K. इस विलेख के साक्ष्य में पट्टेदाता की ओर से उनके प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल, वन प्रभाग, पौड़ी ने तथा पट्टेदार अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी ने उनके हस्ताक्षरों के नीचे दिनांक 27.08.2020 को हस्ताक्षर कर दिये हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी
हस्ताक्षर पट्टादाता

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पौड़ी (गढ़वाल)
हस्ताक्षर पट्टेदार

जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व
पौड़ी गढ़वाल

ee No–18002578414 Email/Speed Post/by Hand

पौड़ी स्वस्थ पौड़ी सुन्दर पौड़ी

!! कार्यालय–नगर पालिका परिशद पौडी !!

(स्वच्छता ही सेवा)

Web-www.nagarpalikapauri.com

Email-nagarpalikapauri@gmail.com, दूरभाष एवंफैक्स नं0–01368221927

संख्या 586 /न0पा0प0/ 2024–25/पौड़ी दिनांक 10 सितम्बर 2024

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय देहरादून
उत्तराखण्ड।

विषय– लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 तथा आर0एफ0पी0 प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद पौड़ी को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन योजना माण्डाखाल में स्वीकृत हुई है। इससे पूर्व वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड में पड़े लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक रूप से उपचार किया जाना है। जिस हेतु लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 रू0–95.05 लाख की गठित की गयी है तथा साथ ही आर0एफ0पी0 भी तैयार कर ली गयी है। जिसे महोदय की सेवा में स्वीकृति हेतु 02–02 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 की धनराशि रू0–95.05 लाख आंवटित करते हुए तथा आर0एफ0पी0 की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा कीजिएगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

प्रतिलिपि– सचिव शहरी विकास महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी।

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281 / 2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा.–163–788 / 2024 / 568 दिनांक 15.07.2024 के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281 / 2024 Kishor Bahuguna Vs State of Uttarakhand में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024, प्रकरण ग्राम तिमली / पौडी, नई विकास कॉलोनी, जिला–पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नं0–119 में नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल द्वारा कचरा डम्पिंग स्थल के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये:–

1. जिलाधिकारी पौडी गढ़वाल।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. नगर निगम, पौड़ी गढ़वाल।

तत्क्रम में जिलाधिकारी गढ़वाल एवं उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्यों को नामित किया गया,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
2. उप जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी (देहरादून), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी गढ़वाल।

नामित सदस्यों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.09.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

1– निरीक्षण के समय नगर पालिका परिषद्, पौड़ी के अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पौडी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत 11 वार्ड आते हैं, जिसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 25440 है।

2– डम्पिंग साईट पर वर्तमान में नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा सफाई कर्मचारियों के माध्यम से एकत्रित कूड़े को अस्थाई तौर पर डाला जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका परिषद पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा एकत्रिकरण का कार्य नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा निविदा द्वारा चयनित एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवं उक्त निजी संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से सूखे कूड़े (प्लास्टिक, कागज, गत्ते आदि) को पृथक कर कॉम्पैक्टर के माध्यम से कम्प्रेस कर विक्रय किया जाता है।

3– बिन्दु सं0–2 में उल्लिखित कूड़े के अतिरिक्त अवशेष कूडे को वर्तमान में कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण डम्पिंग साईट पर ही डाला जा रहा है, जिस कारण उक्त डम्पिंग साईट पर विगत वर्षों का लीगेसी वेस्ट (Legacy Waste) अवस्थित है। नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त Legacy Waste के नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) की स्वीकृति धनावंटन हेतु दिनांक 10.09.2024 को शहरी विकास निदेशालय को प्रेषित कर दी गयी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन से उपरोक्त डी0पी0आर0 अनुमोदित होने के उपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये प्रश्नगत स्थल पर स्थित Legacy Waste का नियमानुसार निस्तारण करा दिया जायेगा।

4– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली–2016 की अनुसूची–1(क 7) में दिये गये मानदण्डों के अनुसार प्रश्नगत डम्पिंग साईट की स्थिति निम्नानुसार है:–

स्थिति	निर्धारित मानक	प्रश्नगत स्थल की दूरी	टिप्पणी
नदी से दूरी	100 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई नदी स्थित नहीं है।	डम्पिंग स्थल के अन्तिम कोने के 50 मी0 की दूरी पर एक बरसाती गधेरा स्थित है।
तालाब से दूरी	200 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई तालाब स्थित नहीं है।	–
राजमार्गों से दूरी	200 मीटर	राजमार्गों से दूरी–0 मी0	–
आवास स्थलों से दूरी	200 मीटर	आवास स्थलों से दूरी–60 मी0	–
सार्वजनिक उद्यानों से दूरी	200 मीटर	सार्वजनिक उद्यानों से दूरी–03कि0मी0	–

जलापूर्ति कुओं से दूरी	200 मीटर	डम्पिंग साईट के निकट कोई जलापूर्ति कुआं स्थित नहीं है।	–
हवाई अड्डे से दूरी	20 कि0मी0	87 कि0मी0	–

5– नगर पालिका परिषद् पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली–2016 के मानदण्डो के अनुसार नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित कूड़े के पृथक्करण/प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु उल्ली बीट माण्डाखाल में नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि आबद्ध की गयी है, जिसकी पर्यावरणीय (पत्र संख्याः–29–07(19) 2021 दिनांक 09 मार्च 2023) एवं वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति (पत्र संख्याः–08 बी0/यू0सी0पी0/09/212/2016/एफ0सी0/2627 दिनांक 19 फरवरी 2020) प्राप्त हो चुकी है। वर्णित स्थल पर ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन प्लान्ट (Solid Waste Management Plant) लगाये जाने हेतु तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) (कुल लागत–9.74 करोड़) नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा शहरी विकास, निदेशालय, के माध्यम से शासन को प्रेषित की गयी है (पत्र संख्याः–95/न0पा0प0–05/2024–25 पौड़ी दिनांक 15 मई 2024)। प्रश्नगत वैकल्पिक भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुज्ञा वन विभाग को प्रेषित कर दी गयी है (पत्र संख्याः–106/न0पा0प0/2024–25 दिनांक 20 मई 2024)। इसके अतिरिक्त उक्त प्लान्ट की स्थापना से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से Consent to Establish प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। अधिशासी अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि जैसे ही उपरोक्त समस्त स्वीकृतियां प्राप्त होती है प्लान्ट के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं उसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

6– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु सं0–5 में उल्लिखित वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था निर्माण होने तक वर्तमान डम्पिंग स्थल पर कतिपय सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे है। वर्तमान डम्पिंग स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–119 पर सीधी ढलान पर बनाया गया है, जिसके निचले भाग पर जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु नगर पालिका परिषद पौडी द्वारा निचले भाग तक जाने के लिये एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने हेतु निविदा आमन्त्रित कर कार्यादेश संख्याः–557/न0पा0प0–07/2024–25 पौड़ी दिनांक 06.09.2024 को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त मार्ग के बनने के उपरान्त नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत जनित सम्पूर्ण कूड़े को राष्ट्रीय राजमार्ग से 80 मीटर एवं निकटतम आवास से 140 मी0 की अधिक दूरी पर ले जाया जा सकेगा तथा वर्णित स्थल पर एक अस्थायी एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा, जिससे सूखे कूड़े एवं आर0डी0एफ0 को पृथक कर विक्रय किया जा सकेगा।

7– प्रश्नगत डम्पिंग साईट के निचले भाग पर एक बरसाती नाला/गधेरा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि बरसाती नाले में कूड़ा जाने से रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है तथा बाउण्ड्री वॉल निर्माण के उपरान्त वर्णित स्थल पर एक अस्थाई एम0आर0एफ0 केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। जिससे सूखा कूड़ा एवं आर0डी0एफ0 पृथक कर विकय करने की कार्यवाही की जायेगी।

8– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अस्थायी डम्पिंग स्थल में पशुओं की आवाजाही रोकने हेतु आर0सी0सी0 बाउन्ड्री वॉल का निर्माण किये जाने हेतु निविदा दिनांक 20.09.2024 को आमन्त्रित कर दी गयी है, जिसके उपरान्त डम्पिंग साईट पर किसी भी जानवर को जाने से रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

इस प्रकार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा वर्तमान में संचालित डम्पिंग साईट में अवस्थित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने, वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन प्लान्ट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित करना उचित होगा।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

21.09.24

(गौरव भसीन) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी।	(डॉ0 राजकुमार चतुर्वेदी) क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	(दीपक रामचन्द्र शेट) संयुक्त मजिस्ट्रेट (IAS) पौड़ी।	(स्वप्निल अनिरूद्ध) प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–788/2024/1328

दिनांक 11.12.2024
एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय,
ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0– 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.005.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0 281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में प्रकरण पर गठित समिति में जिलाधिकारी, पौड़ी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर पालिका परिषद पौड़ी की संयुक्त कमेटी द्वारा 20.09.2024 को प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण किया गया प्राप्त आख्यानुसार नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा प्रश्नगत स्थल पर संचालित निस्तारण स्थल में अव्यवस्थित लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करने वर्तमान डम्पिंग साईट में सुरक्षात्मक उपाय करने एवं उल्ली बीट माण्डाखाल पर प्रस्तावित वैकल्पिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट के निर्माण हेतु त्वरित कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी थी। उपरोक्त के अनुपालन हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0 यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–788/2024/1293 दिनांक 03.12.2024 द्वारा उपरोक्त कार्यों में वर्तमान तक हुई प्रगति की आख्या 07 दिनों के अन्तर्गत प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पौड़ी द्वारा प्रेषित आख्या संलग्न है।

उपरोक्तानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि 03 दिनों के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन एवं नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा की जा रही कार्यवाही का सत्यापन कर अभिलेखों सहित अपनी स्पष्ट संस्तुति इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे अनुपालन आख्या स–समय मा0 एन0जी0टी0 को प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेली फोन नं.–0135–3593200

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी / आरओडी / एन0जी0टी0–111 /2024–25/ 3011 – 1550 दिनांक: 21/12/24

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 व बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा–183–788 / 2024 / 1328 दिनांक 11.12.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, पौड़ी का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.12.2024 को किया गया। नगर पालिका पौड़ी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम का अनुपालन की अद्यतन स्थिति का विवरण निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

21/12/2024

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 के अनुपालन में दिनांक 17.12.2024 को निरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–281/2024 किशोर बहुगुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2024 में प्रकरण ग्राम तिमली/पौड़ी, नई विकास कॉलोनी, जिला पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय राजमार्ग नं–119 में नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल द्वारा कचरा डम्पिंग स्थल के सम्बन्ध में इस कार्यालय एवं अधिशीस अधिकारी, नगर पालिका परिषद पौड़ी गढ़वाल द्वारा दिनांक 17.12.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया आख्या निम्नवत् है–

1. वर्तमान गारबेज डम्पिंग स्थल पर सीधा ढलान होने के कारण उसका निचला भाग होने के कारण गारबेज को नीचे न जाये। पालिका द्वारा आर0सी0सी0 सुरक्षा दीवार लम्बाई 60 मी0 उंचाई 10.5 मी0 का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में नगर पालिका द्वारा दीवार की फाउण्डेशन की खुदाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि निरीक्षण में मौका स्थल पर भी हुई है। कार्य आदेश एवं स्थल के फोटोग्राफ संलग्न हैं। **(संलग्न)** सुरक्षा दीवार आदि बनाये जाने के उपरान्त उक्त स्थल पर चौड़ाई बढ जाने पर .01 MRF Centre भी बनाया जाना प्रस्तावित है।
2. नगर में ड्राई एवं गीला कूड़ा के एकत्रिकरण के लिये एक प्राइवेट एजेन्सी को कार्य पर लगाया गया है। पालिका के सभी 11 वार्ड में वाहनों के माध्यम से एवं पगडंडियो मार्ग से एजेन्सी के कार्मिकों के माध्यम से बैग आदि में ड्राई गारबेज एकत्रिकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं। **(संलग्न)**
3. ड्राई गारबेज से सिल्लियां बना कर शहर से बाहर विकय के लिये भेजे जाने हेतु कैम्पैक्टर मशीन की स्थापना की गयी है। नगर पालिका द्वारा ड्राई गारबेज से सिल्लियां बनाना आरम्भ कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित फोटोग्राफ संलग्न किये जा रहे हैं। **(संलग्न)**
4. उपरोक्त ट्रैचिंग ग्राउण्ड स्थल पर 7,636 मी0 टन लीगेसी वेस्ट की जो डी0पी0आर0 शहरी विकास निदेशालय को भेजी गयी थी, उसमें निदेशालय द्वारा परीक्षण करते हुए अपने पत्र संख्या–3898/886/SBM/SWM/ ली0वे0/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर, 2024 क द्वारा शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। जिसकी प्रति अधिशासी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय उपलब्ध करायी गई है। **(संलग्न)** पत्र में लीगेसी वेस्ट का स्थान त्रुटिवश माण्डाखाल लिखा गया है, इसके सम्बन्ध में निदेशालय को दूरभाष पर संशोधन हेतु अवगत करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त संशोधन हेतु भी पत्र भेजा जा रहा है।
5. पौड़ी नगर के ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन के निस्तारण हेतु माण्डाखाल से आगे खिर्सू रोड़ पर दाहिनी ओर उल्ली बीट नं–32 में 1.007 हे0 भूमि हेतु नगर पालिका परिषद पौड़ी को लीज पर देना स्वीकृत हुई है। इस आंवटित भूमि पर पालिका द्वारा सिविल कार्य करवाये जाने की कार्यवाही आरम्भ करने पर वहां पर स्थानीय जनता का घोर विरोध हो रहा है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ठ प्रसंस्करण हेतु अन्य स्थान पर भूमि का चिन्हिकरण की कार्यवाही प्रस्तावित है।
6. वर्तमान में गारबेज निस्तारण स्थल पर ट्रैचिंग ग्राउण्ड तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य के लिये भी निविदायें आमन्त्रित की गयी हैं। ताकि गारबेज को ऊपर से न डाल कर निर्मित होने वाली सड़क से ही छटाई के लिये ले जाया जाये। इस कार्य में पत्थरों का खड़ंजा सड़क निर्माण का प्राविधान किया गया है, जिसमें 300 मी0 लम्बाई तथा 3.65 मी0 चौड़ाई की सड़क खुदाई/ड्रेसिंग का कार्य हो चुका है। 150 मी0 पैदल रास्ता और भी बनाया जाना अवशेष है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा।
7. वर्तमान में ट्रैचिंग ग्राउण्ड में सी0सी0 टी0वी0 कैमरे भी लगा दिया गये हैं एवं नगर पालिका से जनित ठोस अपशिष्ट का पृथ्थकरण किया जा रहा है। उपरोक्त निरीक्षण के समय नगर पालिका पौड़ी द्वारा किये जा रहे कार्यों का सत्यापन किया गया।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

21/12/2024
(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

21/12/2024
(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

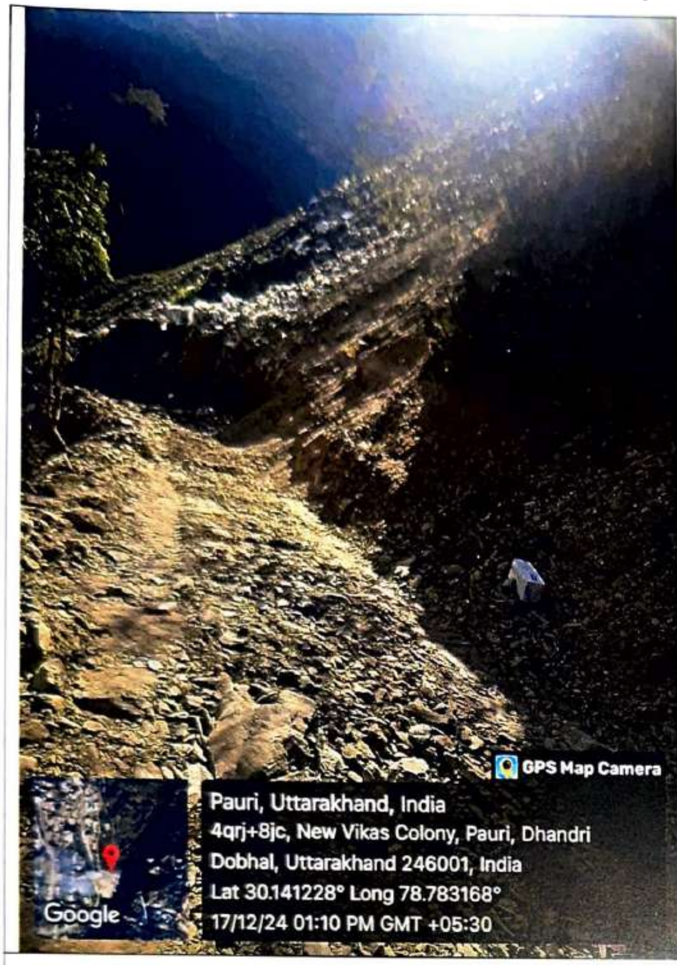
GPS Map Camera
Google
Pauri, Uttarakhand, India
4qrj+8jc, New Vikas Colony, Pauri, Dhandri
Dobhal, Uttarakhand 246001, India
Lat 30.141228° Long 78.783168°
17/12/24 01:10 PM GMT +05:30

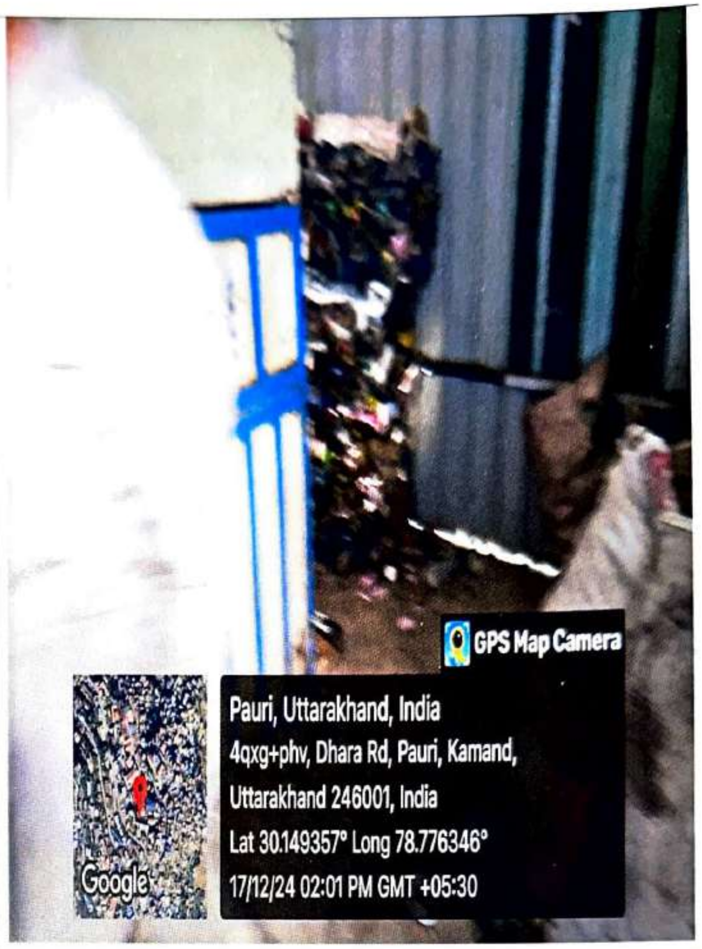
GPS Map Camera
Google
Pauri, Uttarakhand, India
4qxg+phv, Dhara Rd, Pauri, Kamand,
Uttarakhand 246001, India
Lat 30.149357° Long 78.776346°
17/12/24 02:01 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Check in
Google
Kamand, Uttarakhand, India
4qxg+39x, Kamand, Pauri, Uttarakhand
246001, India
Lat 30.147962° Long 78.775966°
18/12/24 09:18 AM GMT +05:30

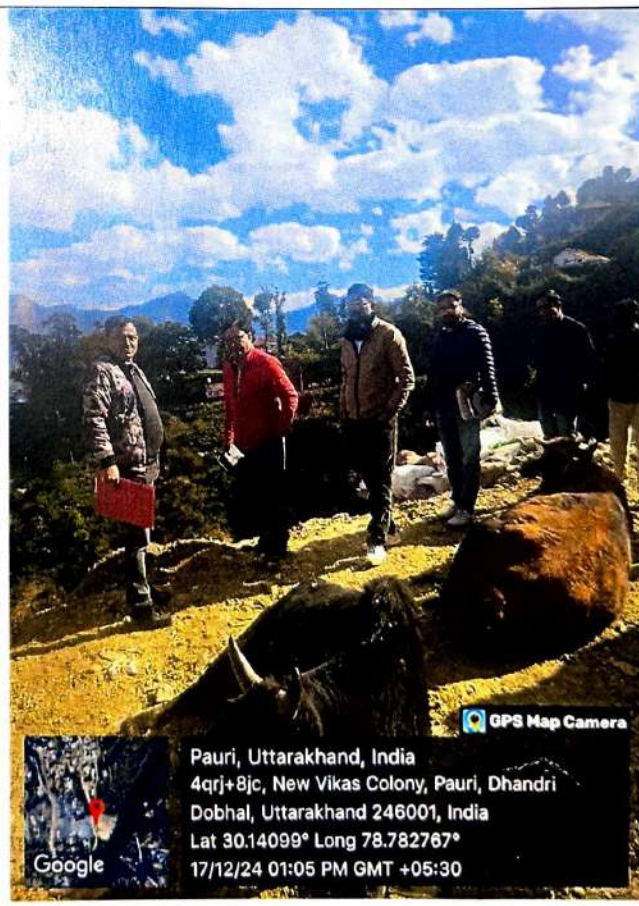
GPS Map Camera
Google
Pauri, Uttarakhand, India
4qrj+8jc, New Vikas Colony, Pauri, Dhandri
Dobhal, Uttarakhand 246001, India
Lat 30.14099° Long 78.782767°
17/12/24 01:05 PM GMT +05:30

कार्यालय–नगर पालिका परिषद पौड़ी

Email-nagarpalikapauri@gmail.com

संख्या/1024/लीoवेo/2024–25/

दिनांक दिसम्बर, 17 2024

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, 31/62, राजपुर रोड़
देहरादून–248001 ।

विषय– **नगर पालिका परिषद पौड़ी की लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 के निदेशालय स्तर से प्रेषित पत्र में लीगेसी वेस्ट के स्थान की त्रुटि ठीक किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्याः–3898/888/SBM/लीoवेo/2022–23 दिनांक 04 नवम्बर 2024 के द्वारा नगर पालिका परिषद पौड़ी की लीगेसी वेस्ट की डी0पी0आर0 को अपर सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को सन्दर्भित किया गया है, परन्तु पत्र के पैरा 01 में लीगेसी वेस्ट के स्थान को माण्डाखाल स्थित वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड लिख दिया गया है, जबकि लीगेसी वेस्ट का स्थान वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड लोवर चोपड़ा वार्ड न0 09 पौड़ी में स्थित है।

अतः कृपया उपरोक्त प्रेषित पत्र के पैरा 01 में माण्डाखाल स्थित ट्रेचिंग ग्राउण्ड के स्थान पर वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउण्ड (लोवर चोपड़ा वार्ड न0 09 पौड़ी) करने का कष्ट करें।

भवदीय,

17/XII/024

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल

पत्र स0 व दिनाकं –तदैव–
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित।
1:– अपर सचिव, शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

17/XII/024

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद पौड़ी
पौड़ी–गढ़वाल